Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **उदयपुर में थानाधिकारी, पुलिस थाना फतेहनगर का दलाल (आरोपी का पुत्र–प्राईवेट व्यक्ति) 4 लाख 50 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपी थानाधिकारी, उपनिरीक्षक पुलिस एवं हैड कानिस्टेबल मौके से फरार, तलाश जारी**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *24 नवम्बर, शुक्रवार*/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर प्रथम इकाई द्वारा आज उदयपुर में कार्यवाही करते हुये दलाल सौरभ मीणा (आरोपी का पुत्र–प्राईवेट व्यक्ति) को सुरेश मीणा उपनिरीक्षक थानाधिकारी, पुलिस थाना फतेहनगर, जिला उदयपुर के लिये परिवादी से **4 लाख 50 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (कार्यवाहक महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि पुलिस थाना डबोक पर दर्ज एन.डी.पी.एस. एक्ट के मामले में उसके एवं उसके साथी के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने की एवज में मामले के अनुसंधान अधिकारी सुरेश मीणा उपनिरीक्षक थानाधिकारी, पुलिस थाना फतेहनगर, जिला उदयपुर द्वारा महावीर प्रसाद हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना डबोक के माध्यम से **8 लाख रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री डॉ. रवि** के सुपरवीजन में एसीबी जयपुर नगर प्रथम इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आलोक शर्मा** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री नीरज गुरनानी** द्वारा मय टीम के उदयपुर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी उपनिरीक्षक के दलाल सौरभ मीणा पुत्र श्री सुरेश मीणा निवासी ग्राम नारहेड़ा, तहसील एवं जिला कोटपूतली हाल निवासी फ्लेट नं0 406, आर.बी. गैलक्सी, देबारी, उदयपुर (आरोपी का पुत्र–प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **4 लाख 50 हजार रूपये (2 लाख 5 हजार रुपये की प्रचलित भारतीय मुद्रा एवं 2 लाख 45 हजार रुपये की डमी करेंसी)** की रिश्वत राशि लेते हुये गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुरेश मीणा उपनिरीक्षक थानाधिकारी, पुलिस थाना फतेहनगर, जिला उदयपुर एवं महावीर प्रसाद हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना डबोक ए.सी.बी. कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से फरार हो गये, जिसकी तलाश की जा रही है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री डॉ. रवि के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (कार्यवाहक महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।